न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या 41 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. कमला देवी पत्नी सुल्तानसिंह जाति– रावत निवासी– खोड़िया(बाडीया पटियाल) तहसील– सोजत जिला– पाली		01. खंगारसिंह पुत्र उदयसिंह 02. बाबुसिंह पुत्र रतनसिंह 03. पुनमसिह पुत्र रतनसिंह जातियान– रावत, निवासीयान– बाडीया देव निम्बडी पोकरिया की नाडी तहसील– सोजत, जिला– पाली

राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 व 183 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः–

01. श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित अधिवक्ता वादीया उपस्थित।

–ः निर्णय ः– दिनांक 19/12/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी गांव खोड़िया (बाडीया पटियाल) तहसील सोजत जिला पाली का स्थाई निवासी है और पीढीयों से निवास करती आ रही है। सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम वादिया के हक हकुक एवं खातेदारी की स्थित है। जिसमेंवादीया का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नंबर 2551 में प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमण कर नाजायज रूप से मेड़बंदी कर दी है एवं वादीया के खातेदारी हक हकूक व कब्जा काश्त की भुमि के उपयोग व उपभोग में रूकावट डालकर मेड़बंदी कर अड़चन पैदा की है। इन परिस्थितियों में प्रविादीगण के द्वारा उक्त नाजायज रूप से की गई मेड़बंदी मौके से हटाकर वादीया का उक्त खसरा में माफिक रकबा कब्जा दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादीगण हमेशा वादीया के साथ लडाई झगडा करने हेतु उतारू रहते है एवं वादीया के खातेदारी हक हकुक के खसरा नम्बर 2551 में काश्त करने से रूकावट करने हेतु एवं भुमि खुर्द बुर्द कर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहे है। जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया की खातेदारी भुमि में प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य को नहीं रोके जाने पर उसे बहुत ही अपूर्णीय क्षति होगी। वादीया का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं साम्य एवं न्याय का सिद्धान्त वादीया के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य को हमेशा हमेशा के लिए रोके जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा की डिक्री एवं निर्णय पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीया की खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के नजरी नक्शे में लाल रंग से सम्पूर्ण रकबा दर्शाया हुआ है इसमें आसमानी रंगी डोटेट लाईन कर प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती वादीया के मना करने पर भी लाठी लकडी के बल पर दिनांक 26.02.2017 को की गई है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादीगण के द्वारा की गई उक्त मेड़बंदी को हटाई जाकर पुनः वादीया का माफिक राजस्व नक्शा के हक हकुक एवं कब्जा काश्त दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादीगण के उक्त अवैध कृत्य हो रेाकने हेतु पारित निर्णय की पालना में वक्त जरूरत आवश्यकतां पड़ने पर पुलिस इमदाद की सहायता दिलवाए जाने का निर्णय पारित फरमाया जाना न्यायसंगत है। वादीया के खातेदारी हक हकुक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 26.02.2017 को मेड़बंदी कर काश्कारी भूमि में अनावश्यक रूप से विधि विरूद्ध विभाजन किए जाने के कारण वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतु ग्राम रायराखुर्द में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.

3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने से रोकने तथा बेदखल किए जाने पर पुनः कब्जा वादी को दिलवाए जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा का निर्णय एवं डिक्री पारित फरमाए जाने की ईस्तदुआ की है।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0सं0 1 से 3 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 16.10.2017 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादी दिनांक 12.12.2017 से लगातार अवसर दिये जाने के तदुपरान्त भी शहादत वादी पेश करने में विफल रहने से दिनांक 19.09.2022 को शहादत वादी बंद की गई। प्रति0 संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी में बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित खसरा नम्बर 2551 रकबा 1.3100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखली करने से रोकने तथा बेदखल किए जाने पर पुनः कब्जा वादी को दिलवाए जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा का निर्णय एवं डिक्री पारित फरमाए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र मय शपथ पत्र जवाब दावा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने का सम्पूर्ण जिम्मा वादी मय अधिकवक्ता वादी का होता है। किंतु हस्तगत प्रकरण में वादी मय अधिवक्ता वादी वाद पत्र में अंकित तथ्यो के समर्थन में शहादत पेश नहीं कराई है। अर्थात शहादत वादी पेश करने में विफल रहे है। लिहाजा अधिवक्ता वादी मय वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना अनुसार अधिवक्ता मय वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भंण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत